गैंगस्टर के दो दोषियों को सश्रम कारावास

श्रावस्ती। गैंगस्टर अधिनियम के दो दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश ने तीन वर्ष 15 दीन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों के विरूद्ध वर्ष 2010 में भिनगा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाली भिनगा क्षेत्र के सकटू पुर निवासी राजू उपाध्याय व बजरंगी उपाध्याय को गिरोह के सदस्यों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए चोरी करने,चोरी के वाहनों को खरीदने व बेचने का मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध ठहराते हुए 3 वर्ष 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।